विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0022312

श्री विनोद डांडे, — **आवेदक**
बी–107, स्कीम नं. 71,
इन्दौर (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (मध्य) शहर संभाग,
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
इन्दौर (म.प्र.)

— **अनावेदक**

आदेश
(दिनांक 05.07.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0191311 विनोद डांडे विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 27.08.2011 से असंतुष्ठ होकर यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक/उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसके परिसर में विद्युत संयोजन क्रमांक 38–16–3560430 है, उक्त संयोजन में विद्युत ऊर्जा की गणना के लिए जो मीटर लगा हुआ है, उसमें अत्यधिक खपत आती है । इस संबंध में उसने अनावेदक के अधिकारियों के समक्ष कई बार शिकायतें की हैं, परन्तु उनका निराकरण नहीं किया गया है । उपभोक्ता की शिकायत का जवाब अनावेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया । अनावेदक के जवाब के अनुसार उपभोक्ता के परिसर में स्थापित विद्युत मीटर पूर्णतः सही एवं वास्तविक है और ऊर्जा का सही रूप से निर्धारण किया जा रहा है । उपभोक्ता की शिकायत पर मीटर को बदला गया था, नया मीटर लगाया गया था तथा पुराना मीटर व नया मीटर में दर्ज खपत में कोई विशेष अन्तर नहीं है । मीटर की जांच कराए जाने पर उसमें किसी तरह की त्रुटि होना नहीं पाया गया है, अतः उपभोक्ता की शिकायत निराधार होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

3. फोरम ने यह निष्कर्ष दिया है कि उपभोक्ता के परिसर में उसके नाम से तथा उसके परिवार के सदस्यों के नाम से 3 घरेलू कनेक्शन हैं । सर्विस क्रमांक 38–16–3560430 विनोद डांडे के नाम है, सर्विस

क्रमांक 38–16–4601750 मयंक विनोद डांडे के नाम से है तथा सर्विस क्रमांक 38–17–4601245 पी.एल. डांडे के नाम है । अतः इन तीनों घरेलू कनेक्शनों के संबंध में जुलाई 2010 से अगस्त 2011 तक जो खपत दर्ज की गई है और उसके आधार पर जो बिलिंग की गई है वह तकनीकी कारणों से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त की जाती है । अतः तीनों मीटरों का 14 माह का मीटर किराया न लिया जाए । उपभोक्ता के एक कनेक्शन पर क्रेडिट किया जाए तथा दो कनेक्शनों पर डेबिट किया जाए । उपभोक्ता के कनेक्शन क्रमांक 38–16–3560430 की त्रुटिपूर्ण बिलिंग की मांग को उचित न पाते हुए उसे निरस्त किया गया है ।

4. उपभोक्ता ने फोरम के आदेश के विरूद्ध यह अभ्यावेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि फोरम ने सर्विस क्रमांक 38–16–3560430 के संबंध में जो आदेश पारित किया है उससे वह संतुष्ठ है, परन्तु सर्विस क्रमांक 38–17–4601245 के संबंध में उसने फोरम के समक्ष कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की थी । विद्युत उपभोक्ता द्वारा भी उक्त संयोजनों के संबंध में कोई लिखित या मौखिक आपत्ति नहीं की गई थी, अतः उक्त तीनों सर्विस क्रमांक के संबंध में फोरम ने जो आदेश दिया है वह उचित नहीं है तथा निरस्त किए जाने योग्य है ।

5. उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत उक्त अभ्यावेदन के संबंध में अनावेदक ने जवाब प्रस्तुत करते हुए यह आपत्ति की है कि उपभोक्ता ने अन्य दो विद्युत संयोजनों के संबंध में फोरम के समक्ष कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की थी, परन्तु संयोग क्रमांक 38–16–3560430 की शिकायत की सुनवाई के दौरान मौके का निरीक्षण फोरम द्वारा कराए जाने पर यह पाया गया था कि परिसर में स्थापित तीनों विद्युत संयोगों की वांयरिग त्रुटिपूर्ण है, जिसके कारण तीनों विद्युत मीटर ऊर्जा खपत की सही गणना नहीं कर रहे हैं, इसीलिए फोरम द्वारा तीनों विद्युत संयोजन के लिए पोल पर मीटर लगाकर उपभोक्ता के यहां लगे मीटर व पोल पर लगे मीटरों का आकलन त्रुटिपूर्ण वांयरिग के समय तथा वायरिंग दुरूस्त करने के बाद या/तथा पाए गए अन्तर के अनुसार उपभोक्ता के विद्युत बिलों में सुधार करने के निर्देश दिए हैं जो तार्किक है, विद्युत वितरण कम्पनी को मान्य है, जिनका पालन विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा किया गया है । फोरम का निर्णय परिस्थितियों के आधार पर तार्किक एवं विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार है, जो यथावत् रखे जाने योग्य है ।

6. **विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या –** उपभोक्ता ने जिस विद्युत संयोजन क्रमांक 38–16–4601750 तथा सर्विस क्रमांक 38–17–4601245 के संबंध में शिकायत नहीं की थी, के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार फोरम को था ?

7. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि सर्विस क्रमांक 38–16–4601750 तथा सर्विस क्रमांक 38–17–4601245 के उपभोक्ता दूसरे व्यक्ति थे, यद्यपि उक्त दोनों

व्यक्तियों को उपभोक्ता के परिवार का सदस्य होना कहा जाता है, परन्तु पृथक–पृथक विद्युत संयोजन होने के कारण तथा प्रत्येक संयोजन के संबंध में पृथक–पृथक संविदा होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि तीनों संयोजन एक ही व्यक्ति के थे ।

8. उपभोक्ता ने संयोजन क्रमांक 38–16–3560430 के संबंध में शिकायत की थी और फोरम को इसी शिकायत के संबंध में निष्कर्ष देना था । अन्य दोनों के संबंध में यदि किसी तरह की अनियमितता पाई गई थी तो उन संयोजनों से संबंधित उपभोक्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के बाद अनावेदक उनके संबंध में पृथक से कार्यवाही कर सकता था । इस मामले में निष्कर्ष देने के पूर्व फोरम द्वारा अन्य दो उपभोक्ताओं को सुने जाना भी नहीं पाया जाता है और उन्हें सुने जाने का अवसर दिए बिना ही उनके संबंध मे आदेश जारी किया गया है जो प्रथमदृष्टयाः विधि और प्रक्रियां के विपरीत दिया जाना पाया जाता है ।

9. अतः उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार किया जाता है । विद्युत संयोजन क्रमांक 38–16–4601750 तथा संयोजन क्रमांक 38–17–4601245 के संबंध में फोरम द्वारा जो निष्कर्ष दिया गया है, उसे अपास्त किया जाता है । फोरम का शेष आदेश कायम रखा जाता है ।

10. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल